न्यायालय :-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर (पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

नियमित व्यवहार अपील क्र.—14 / 2017 संस्थित दिनांक — 20.06.2017 सी.आई.एस. फाईलिंग नंबर—आर.सी.ए. / 139 / 2017 सी.एन.आर कं.—एम.पी.50050013092017

सुबेलाल आयु 60 वर्ष पिता धन्नुलाल जाति गढ़ेवाल निवासी–कटंगी तहसील बैहर जिला बालाघाट

²अपीलार्थी

-// <u>विरूद</u> //-

- 1— सहरूलाल उम्र 51 साल पिता माहुलाल जाति गढ़ेवाल निवासी कटंगी तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 2— म.प्र. राज्य की ओर श्रीमान् कलेक्टर महोदय बालाघाट

– – – <u>उत्तरवादीगण</u>

ित्यायालयः— द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बैहर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह द्वारा व्य.वाद कमांक 300036ए ∕ 2016 सुबेलाल बनाम सहरूलाल व अन्य एक में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 29.04.2017 से परिवेदित होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की है}

-/// <u>निर्णय</u> // ((<u>आज दिनांक 19 फरवरी 2018 को पारित</u>)

- 1. अपीलार्थी सुबेलाल ने यह नियमित व्यवहार अपील न्यायालय— द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बैहर जिला बालाघाट पीठासीन अधिकारी (श्री दिलीप सिंह) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 300036ए/2016, सुबेलाल बनाम सहरूलाल व अन्य एक में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29. 04.2017 से परिवेदित होकर यह नियमित अपील पेश की है।
- 2. उभयपक्षों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी एवं प्रतिवादी कमांक 1 एक ही खानदान से है, वे गढेवाल जाति के होकर हिन्दु है। वंशवृक्ष

में लेख मूल पुरूष माहुलाल फौत हो चुके है। वादी के पिता धन्नूलाल फौत हो चुके है।

- वादी / अपीलार्थी के वाद का सार यह है कि वादभूमि ख.क. 97 3 रकबा 40 डिसमिल, पह.न. 18, ग्राम कटंगी, रा.नि.मं. 02 बैहर तहसील बैहर जिला बालाघाट की है। कृषि भूमि होने से म.प्र. राज्य को पक्षकार बनाया गया है जिससे कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं पक्षकारों के मूल पुरूष माहुलाल जिनकी फगनलाल, धन्नूलाल, देवाजी, समारू, सहरूलाल, कौशल्याबाई एवं कौलीबाई है। धन्नूलाल फौत है, के वारसान प्रारगाबाई, सूबेलाल (वादी) है। वादी के पिता धन्नूलाल ने ख.क. 97 रकवा 40 डिसमिल भूमि का सौदा बखरूलाल निवासी कटंगी से क्रय कर रकम अदा कर दी तथा वादी के पिता उक्त भूमि के कब्जे में आकर काष्त करने लगा। वहां एक गाय का कोठा बनाया। वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी का कब्जा रहा, वादभूमि पर विरोधी आधिपत्य के रूप में अपना कब्जा बनाए रखा। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उक्त भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख स्वयं के पक्ष में करवाया, उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कभी कब्जा नहीं रहा। वादी का 70 वर्षी से कब्जा है।
- 4. वादी ने तहसीलदार बैहर के समक्ष वाद भूमि पर कब्जा दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया कि कार्यवाही में प्रतिवादी क्रमांक 1 ने आपत्ति पेश की, तहसीलदार ने हल्का पटवारी से प्रतिवेदन पेश करने का आदेश किया तब दिनांक 20.11.2014 को मौके पर जाकर पटवारी ने रिपोर्ट तैयार की और मौके पर वादी का कब्जा पाया। प्रतिवादी क्रमांक 1 का कोई स्वत्व नहीं है। प्रतिकुल कब्जेदार होने से वादी का स्वत्व अर्जित हो गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 को सीमांकन कराए जाने से निषेधित किया जाना न्यायोचित होगा, बेदखली की कार्यवाही किए जाने से निषेधित किया जावे। घोषणा हेतु मूल्यांकन 1,000/—रूपए कर 500/—रूपए त्यायालय शुल्क अदा हैं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल्यांकन 1,000/—रूपए कर 120/—रू. न्यायालय शुल्क अदा है। वाद परिसीमा में होकर न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में है। वाद कारण दिनांक 20.11.2014 को उत्पन्न हुआ है। सूचीबद्ध दस्तावेज पेश है। दावा डिकी किए जाने की याचना की है।
- 5. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादपत्र के स्वीकृत तथ्य को छोड़कर शेष अभिवचनों को कंडिकावार अस्वीकार किया है। वादी का 70 वर्षो से वाद भूमि

पर आधिपत्य होना इंकार किया है। वादभूमि वादी के पिता से सौदा कर विकय मूल्य अदा करना इंकार किया है। पहले वादी का पिता तथा उसके बाद वादी का कब्जा होना इंकार किया है। सीमांकन प्रतिवेदन में विरोधी आधिपत्य लेख होना इंकार किया है। वाद कारण दिनांक 20.11.2014 को उत्पन्न नहीं हुआ। प्रतिवादी कमांक 1 ने वाद परेशान करने की नियत से ख. क. 97 रकबा 40 डिसमिल भूमि ग्राम कटंगी को हड़पने की नियत से झूठा दर्शांकर वाद पेश किया है।

- 6. विशेष कथन कर लेख किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने स्वयं की कमाई से कटंगी निवासी बखरूलाल से खसरा क्रमांक 97 रकबा 40 डिसमिल भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त कर काष्त कर रहा है। वादी ने वास्तविक तथा छिपाकर तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही की थी तथा यहां वाद पेश किया। वादी ने लम्बे आधिपत्य के संबंध में राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया है। वाद चलन योग्य नहीं है, सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।
- 7. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि निम्न न्यायालय ने प्रकरण में आयी दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य को समुचित मूल्यांकन न कर विधि विरूद्ध ढंग से निर्णय पारित किया है, कथित भूमि अपीलार्थी के मकान से लगकर स्थित है, का नजरअंदाज किया है, हल्का पटवारी के द्वारा मौके में उपस्थित होकर जॉच प्रतिवेदन, पंचनामा तैयार किया गया है, कब्जा 70 वर्षों से बताया गया है, स्पष्ट साक्ष्य प्रकरण में उपलब्ध होने के बावजूद विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है, साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया है, वाद प्रश्न कमांक 1, 2, 3 को प्रमाणित नहीं अभिनिर्धारित कर विधिक त्रुटि की है, वांछित न्यायशुल्क चस्पा है, निम्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 29.04.2017 को अपास्त कर अपीलार्थी द्वारा पेश बाद में चाही गई आज्ञप्ति प्रदान किए जाने की याचना की है।

अपील के निराकरण हेतु अधालिखित विचारणीय प्रश्न है :-

क्या न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बैहर पीठासीन अधिकारी श्री दिलीप सिंह द्वारा व्यवहार वाद कमांक 300036ए/2016 सूबेलाल बनाम सहरूलाल+1 निर्णय दिनांक 29.04.2017 में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि किये जाने से अथवा विधि की त्रुटि किये जाने से इस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निकर्ष:-

- 8. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। अपीलार्थी की ओर से पेश लिखित तर्क का अध्ययन कर विचार में लिया गया।
- 9. सूबेलाल (वा.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत मुख्य कथन वादपत्र की प्रति के रूप में पेश किया है तथा न्यायालय के समक्ष मुख्य कथन में प्र.पी. 1 खसरा नकल, प्र.पी. 2 स्थल जॉच प्रतिवेदन, प्र.पी. 3 स्थल निरीक्षण पंचनामा प्रदर्शित कराएं है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 5 में यह स्वीकार किया है कि उसके पास उक्त जमीन क्य करने की रिजस्ट्री नहीं है। पद कमांक 7 में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जमीन की रिजस्ट्री प्रतिवादी सहरूलाल के नाम पर है। पद कमांक 9 में स्वीकार किया है कि प्र.पी. 2, प्र.पी. 3 के दस्तावेज दो वर्ष पूर्व के है, 70 वर्षो से कब्जा होने के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं किया है। यह स्वीकार किया है कि वह कोई जमीन लेगा तो उसका विक्रय मूल्य अदा करके उसकी रिजस्ट्री करेगा। यह स्वीकार किया है कि उसके पिता धन्नूलाल के नाम से भूमि क्रय करने के दस्तावेज नहीं है।
- 10. भारत दीवान (वा.सा.2), गणेश पंचेश्वर (वा.सा.3) के मुख्य कथन और प्रतिपरीक्षण में आयी साक्ष्य को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सहरूलाल (प्रति.सा.1) के मुख्य कथन को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस साक्षी के न्यायालय के समक्ष लेख मुख्य कथन के पद कमांक 5 में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.10.1975 की मूल प्रति प्र.डी. 1 दस्तावेज है। प्र.डी. 1 के विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्र.डी. 2 है, खसरा पांचसाला वर्ष 2016—17 की प्रमाणित प्रति प्र.डी. 3 है।
- 11. अपीलार्थी की ओर से रामानाथन विरुद्ध एम. सोम सुंदरम चेत्तियर ए.आई.आर. 1964 (मद्रास हाईकोर्ट) पेश किया, का अध्ययन किया गया। पेश न्यायदृष्टांत के तथ्य और साक्ष्य के अनुसार इस अपीलीय अभिलेख पर साक्ष्य नहीं है न ही तथ्य है। अपीलार्थी ने पिछले 70 वर्षो की खसरों की नकलें प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अभिलेख पर पेश नहीं की है। मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर 70 वर्षो का आधिपत्य होना निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है, का निष्कर्ष तथ्य, विधि के

अनुसार होकर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

- 12. प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।
 - (এ) उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी वहन करेगा।
 - [ब] अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।
 - (स) तद्नुसार डिकी बनायी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित

Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय बैहर जिला–बालाघाट Sd/-

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय बैहर जिला–बालाघाट

THERE SHEET BY SELECTE STREET STREET, STREET,

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35) CIVIL APPEAL No. R.C.A. / 14 OF 2017

IN THE COURT OF माखनलाल झोड़, द्वि.अ.जि.न्या.बालाघाट श्रृंखला न्यायालय — बैहर

सुबेलाल आयु 60 वर्ष पिता धन्नुलाल जाति गढ़ेवाल निवासी–कटंगी तहसील बैहर जिला बालाघाट – – – अपीर

-// <u>विरूद</u> //-

- 1— सहरूलाल उम्र 51 साल पिता माहुलाल जाति गढ़ेवाल निवासी कटंगी तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 2- म.प्र. राज्य की ओर श्रीमान् कलेक्टर महोदय बालाघाट

— — — — <u>उत्तरवादीगण</u>

This appeal coming on for hearing on the 12 day of Fab. 2018 before me in the presence of-

श्री अब्दुल शहीद खान अधिवक्ता .for the appellant and of श्री आर.के.चौहान अधिवक्ता for the respondent No. 1 for the respondent No. 2 अनुपस्थित

It is ordered and decreed that -

प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

- [अ] उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी वहन करेगा।
- [ब] अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।
- {स} तद्नुसार डिक्री बनायी जावे।

P.T.O.

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 110/- are to be Paid by the **Appellants.**

The cost of the original suit be paid by the

Given under my hand and the seal of the Court, this 19 day of Fab. 2018.

Sd/-

(माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

COSTS OF APPEAL

-	A 11 /	A 7	A D 1 /	A (
	Appellant	Amount	N Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of	1000.00	Stamp for Power	10.00
	appeal objections or	MI	1	
	Petitions	D/C		
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Petition	-
3.	Stamp for Exhibits	-	Service of Processes	
4.	Service of Processes	10.00	Pleader's fee on Rs	100.00
	2		(प्रमाण पत्र पेश नहीं)	Age
5.	Pleader's Fee on Rs	100.00		ES .
	(प्रमाण पत्र पेश नहीं)		Me.	
6.	Application & Affidavite	5.00	Boles	
May			SEL OF	
1	Total :-	1125.00	Total :-	110.00
<u> </u>	10ta1:-	1123.00	DON	
(एक हजार एक सौ पच्चीस रूपए)			(एक सौ दस रूपए)	

Sd/(माखनलाल झोड़)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर